बिहार सरकार
उद्योग विभाग

पत्रांक — दिनांक

सं00 सं0 2/स0 (उधोग)–पंचायती राज–05/2014

प्रेषक,

प्रधान सचिव,
उधोग विभाग, बिहार, पटना।

सेवा मे

सभी उप विकास आयुक्त–सह
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी–सह–उप विकास, जिला पार्षद

विषयः– **त्रि–स्तरीय पंचायतों को उद्योग विभाग को उद्योग निदेशालय से संबंधित कार्यो एवं शक्तियों के प्रतिनिधायन से संबंधित दिशा–निर्देश।**

प्रसंगः– **विभागीय पत्रांक 3529 दिनांक 24.09.2001**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र द्वारा उद्योग निदेशालय के कार्यो के संपादन में त्रिस्तरीय पंचायतों की भागीदारी हेतु निदेश निर्गत किये गये हैं जिसके तहत ग्राम एवं प्रखंडों के सर्वागिण विकास हेतु उद्योग स्थापना में उनकी भूमिका रहे। कालान्तर में उद्योग निदेशालय के दायित्व एवं संबंधित योजनाओं के दायरा में विस्तार हुआ है। उक्त परिप्रेक्ष्य में प्रासंगिक विभागीय पत्र के कम में निम्न निर्देश निर्गत किये जा रहे हैं जिसका दृढ़तापूर्वक अनुपालन सुनिश्चित किया जायः–

(क) प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यकम–इस योजनान्तर्गत प्राप्त आवेदनों की संवीक्षा के लिए एक जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में जिला कार्यदल समिति गठित है। जिसके तीन सदस्य पंचायतों के प्रतिनिधि है।

पंचायत समिति/जिला परिषद, इच्छुक एवं योग्य लाभार्थियों को प्रोत्साहित करेंगे, उनसे आवेदन प्राप्त करेंगे और महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र–सह–संयोजक सदस्य, जिला कार्यदल समिति, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यकम को अनुशंसा करेंगे।

जिला कार्यदल समिति, अनुशंसित आवेदनों का चयन प्राथमिकता एवं योग्यता के आधार पर करेगी।

पंचायत समिति/जिला पर्षद उन लाभार्थियों की सूची जिनका आवेदन उन्होने अनुशंसा किया है, ग्रामवार/प्रखंडवार एक पंजी में संधारित करेंगे। साथ ही उन लाभुकों की सूची जिन्हें इस योजनान्तर्गत ऋण भुगतान हुआ है उनका भी नाम पूरी विवरणी के साथ पंजी में संधारित करेंगे। बैको द्वारा ऋण वसूली के समय बैंकों को सहयोग करेंगे।

(ख) मुख्यमंत्री सूक्ष्म एवं लघु उद्योग कलस्टर विकास योजना– इस योजना के संचालन, पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण हेतु प्रत्येक जिला में जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समिति का गठन किया

गया है। इस समिति मे कलस्टर से संबंधित पंचायत समिति के प्रमुख/जिला पर्षद के प्रतिनिधि/माननीय विधायक/सांसद के प्रतिनिधि सदस्य हैं।

पंचायत समिति/जिला पर्षद सुक्ष्म एवं लद्यु उद्योग कलस्टर में इस योजना का प्रचार–प्रसार करेंगे।

योजनान्तर्गत उपयुक्त कलस्टर की पहचान कर अपनी अनुशंसा महाप्रबंधक जिला उद्योग केन्द्र को देंगे।

कलस्टर में एस0पी0भी0 (SPV) के गठन में सहजकर्ता की भुमिका निभायेंगे।

सामान्य सुविधा केन्द्र निर्माण हेतु स्थल का चयन आदि में सहायता प्रदान करेंगे।

(ग) कौशल विकास मिशन के अन्तर्गत प्रशिक्षण–इसके अन्तर्गत चयनित प्रशिक्षण प्रदाताओं द्वारा जिला में चलाये जा रहे प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षणार्थियों का चयन के निमित्त महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र की अध्यक्षता में एक चयन समिति गठित है। इस समिति के सदस्यों के अतिरिक्त पंचायत समिति/जिला पर्षद के प्रतिनिधि सदस्य होंगे।

पंचाचत समिति/जिला पर्षद इस योजना का प्रचार–प्रसार करेंगे, इच्छुक एवं योग्य लाभार्थियों को प्रोतसाहित करेंगे, उनसे आवेदन प्रप्त करेंगे और महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र को अनुशंसा करेंगे।

चयन समिति, अनुशंसित आवेदनों का चयन प्राथमिकता एवं योग्यता के आधार पर करेगी।

पंचायत समिति/जिला पर्षद, प्रशिक्षण हेतु इचछुक लाभार्थियों के नाम एवं विवरणी का संधारण पंजी में करेंगे, साथ ही प्रशिक्षितों के नाम एवं विवरणी का संधारण अलग पंजी करेंगे।

विश्वासभाजन,
ह0/–
प्रधान सचिव,
उद्योग विभाग

ज्ञापांक .... पटना/दिनांक......................

प्रतिलिपिः–प्रधान सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
प्रधान सचिव,
उद्योग विभाग

ज्ञापांक .... पटना/दिनांक......................

प्रतिलिपिः–जिला पदाधिकारी, सभी जिला/महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, सभी जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
प्रधान सचिव,
उद्योग विभाग

ज्ञापांक ......1921...... पटना/दिनांक....2/6/14

प्रतिलिपिः–उद्योग निदेशक, बिहार, पटना/निदेशक, ह0रे0, बिहार, पटना/निदेशक, तकनीकी विकास, बिहार, पटना/निदेशक,खाद्य प्रसंस्करण,/आई0टी0मैनेजर, उद्योग विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

प्रधान सचिव,
उद्योग विभाग